बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20 | दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

394

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं /2017 पुनरीक्षण

प्रवीण कुमार शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा निवासी ग्राम देवहरा (संजय नगर) तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

.... आवेदक

नूतन गुप्ता पिता कपूरचंद गुप्ता पत्नी प्रदीप गुप्ता निवासी वार्ड नं. 14 अनूपपुर तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

...... अनावेदक

श्री मुकेश भार्गव एडवोकेट द्वारा आज दि. 7-6-17 को प्रस्तुत

7-6-17 क्लार्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव 7-6-17 एडवोकेट ग्वालियर

न्यायालय तहसीलदार अनूपपुर जिला अनूपपुर द्वारा प्र.कं. 101/अ-3/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 19.4.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, अनावेदक नूतन गुप्ता ने ग्राम अनूपपुर तहसील अनूपपुर में स्थित आराजी ख.नं. 306/2/क/ख/1 रकवा 0.004 एवं ख.नं. 306/2/क/1 रकवा 0.040 है0 भूमि के नक्शा तरमीम कराने बावत तहसीलदार अनूपपुर के समक्ष आवेदन पेश किया था। जिस पर से प्रकरण कमांक 101/अ-3/16-17 दर्ज कर राजस्व निरीक्षक मण्डल अनूपपुर को आदेशित किया। राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 13.3.2016 को नकशा तरमीम प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 7.4.2017 को नक्शा तरमीम प्रतिवेदन तहसीलदार की ओर भेजा गया। तहसीलदार अनूपपुर ने अपने आदेश दिनांक 19.4.2017 द्वारा नक्शा

<u>**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर**</u>

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक –दो/निग./अनूपपुर/भू.रा./2017/1666

<u>प्रवीण कुमार शर्मा विरूद्ध नूतन गुप्ता</u>

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। 3. यह निगरानी तहसीलदार अनूपपुर, जिला-अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 101/अ-3/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 19-04-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 07-06-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका	

का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

28/01/19

(आर.के. जैन)

सदस्य